

285
25

अपीलांत के अधिवक्ता अनु० अधिवक्ता
अपीलांत द्वारा वेसपो. की तलबी हेतु
नोटिस पेश नहीं किए। इस हेतु
अधिवक्ता अपीलांत को पूर्व में पर्याप्त
अवसर दिया जा चुका है। लिहाजा
अपीलांत की यह अपील अदम परवी
रुं अदम लाजरी. रुं न्यायालय ^{पटना} आदेश
अदम पालना न्यायालय में खारिज किया
जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर
नंबर से रुम हो रुं वारिख वपार
की

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)